

ई-मेल/कुरियर

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 8076

पटना, दिनांक 11/06/08

ग्रा0वि0-7/इं.आ.यो.(विविध)-21/2008

प्रेषक,

अनूप मुखर्जी,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त.
सभी जिला पदाधिकारी.
सभी उप विकास आयुक्त.
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ।

विषय :- इंदिरा आवास योजना के कारगर कार्यान्वयन हेतु व्यवस्थित एवं कालबद्ध प्रक्रिया अपनाना ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इंदिरा आवास के कारगर एवं सफल कार्यान्वयन हेतु व्यवस्थित एवं कालबद्ध रूप से निम्नलिखित प्रक्रियाओं को अपनाया जाय :-

- (1) प्रखण्डवार एवं जिलावार वार्षिक कार्य योजना तैयार करना - एक सप्ताह अधिकतम के भीतर वार्षिक कार्य योजना तैयार कर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं सरकार को भेजना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त सुनिश्चित करेंगे ।
- (2)(i) पंचायतवार, प्रखण्डवार जिले का लक्ष्य निर्धारण करना एवं उसकी सूचना संबंधित पंचायतों, प्रखण्डों, जिला परिषद, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराना । प्रखण्ड सूचना केन्द्र को भी उपलब्ध करावें - एक सप्ताह अधिकतम
(ii) उक्त लक्ष्य निर्धारण में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित बिन्दु अंकित रहना चाहिए -

क्रमांक	पंचायत का नाम	पंचायत की जनसंख्या	अनुसूचित जाति/जनजाति की सं०	बी.पी.एल. परिवारों की सं०	पंचायत का वार्षिक लक्ष्य					अभ्युक्ति
					कुल लक्ष्य	अनुसूचित जाति/जनजाति ≥ 60%	अल्पसंख्यक 15%	अन्य वर्ग ≤25%	विकलांग 3% सभी श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(iii) पंचायतों में दीवार लेखन के क्रम में प्रतीक्षा/चयन सूची के नीचे पंचायत के वर्ष 2008-09 के लक्ष्य का भी दीवार लेखन करावें ।

(iv) प्रखण्ड में भी वर्ष 2008-09 के वार्षिक लक्ष्य का पंचायतवार दीवार लेखन करावें ।

(3) कार्य प्रारम्भ करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई (07 जून 08 तक पूरा करेंगे)

- (i) सभी पंचायत सेवक, पर्यवेक्षक एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का एक दिवसीय प्रशिक्षण-
इंदिरा आवास की मार्गदर्शिका की जानकारी देना, 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के मकान बनाने के लिए तकनीकी जानकारी देना, यथा- कितना लंबा-चौड़ा नींव खोदना है, नींव की गहराई, कितने ईंट, बालू, छड़, सीमेन्ट आदि की आवश्यकता होगी, सामग्री उचित गुणवत्ता एवं उचित मूल्य पर लाभुकों को कैसे प्राप्त होगी, कम खर्च प्रणाली एवं भूकम्परोधी मकान कैसे बनाये जा सकते हैं, बाढ़ से बचने के लिए प्लिंथ उँचा बनाना होगा, आदि । कालाजार से बचने के लिए फर्श एवं भीतरी दीवार तथा सीमेन्ट से प्लास्टर आवश्यक । शौचालय एवं उन्नत चूल्हा की आवश्यकता/अनिवार्यता एवं TSC एवं ब्रेडा से उपलब्ध कराना ।
- इंदिरा आवास के लाभुकों का समूह का गठन कैसे होगा एवं इस समूह का आवास निर्माण में आपसी सहयोग/भागीदारी एवं सामूहिक उत्तरदायित्व को विकसित करना, समूह को एस.जी.एस.वाई., एन.आर.ई.जी.एस. आदि योजना से जोड़ना ।
 - इंदिरा आवास योजना का प्रतिवेदन तैयार करना एवं उसका मूल्यांकन
 - इंदिरा आवास योजना को कैसे भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे ।
- (ii) ईंट भट्ठा मालिकों के साथ जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक कर ईंट का मूल्य निर्धारित कराकर इंदिरा आवास योजना के लाभुकों को कम मूल्य पर ईंट की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

(4) प्रतीक्षा/चयन सूची की तैयारी एवं दीवार लेखन - (अधिकतम समय 15 जून 2008)

- (i) पूर्व में निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में 0-13 अंक प्राप्त परिवारों की सूची (बी.पी.एल. सूची) को एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये सॉफ्टवेयर के आधार पर ग्रामवार Mixing करते हुए पंचायतवार दो प्रतीक्षा सूची कम्प्यूटर से निकलवाना -
- क) अनुसूचित जाति/जनजाति की पंचायतवार आरोही क्रम में सूची (ग्रामवार Mixing कर)
- ख) अन्य वर्गों की सूची ।
- (ii) इन दोनों सूचियों की जाँच करायी जायेगी कि सूची में अंकित बी.पी.एल. परिवार
- क) इंदिरा आवास योजना अंतर्गत पूर्व में लाभान्वित हुए हैं या नहीं ,
- ख) इन्हें पूर्व से पक्का मकान तो नहीं है ,
- ग) परिवार के कोई सदस्य सरकारी नौकरी तो नहीं करते हैं ,
- घ) इंदिरा आवास बनाने के लिए उन्हें निजी भूमि उपलब्ध है या नहीं ।
- (iii) इन जाँचों के बाद कंडिका 4(i)(क) एवं (ख) की प्रतीक्षा/चयन सूची को अंतिम रूप दिया जायेगा तथा उसे ग्रामसभा से निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुमोदित कराना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे ।

- (iv) ग्राम सभा से अनुमोदनोपरान्त इन दोनों सूचियों को पंचायत भवन के दीवारों पर पेन्ट कराना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। पंचायत भवन नहीं रहने पर किसी सार्वजनिक मकान यथा सामुदायिक भवन पर इन सूचियों को पेंट करायेंगे।
- (v) इन चयन सूची को निम्न प्रपत्र में पेंट करायेंगे :-

इंदिरा आवास योजना की चयन सूची

ग्राम पंचायत का नाम प्रखण्ड का नाम

- क) अनुसूचित जाति/जनजाति की चयन सूची

क्रमांक	लाभुक का नाम	पिता/पति का नाम	बी.पी.एल. सूची का क्रमांक	कुल प्राप्तांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

- ख) अन्य वर्गों की चयन सूची :-

क्रमांक	लाभुक का नाम	पिता/पति का नाम	बी.पी.एल. सूची का क्रमांक	कुल प्राप्तांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

नोट :- अभ्युक्ति स्तम्भ में लाभुक की भूमिहीनता, विकलांगता एवं अल्पसंख्यक वर्ग का होना अंकित करें।

- (vi) चयन सूची के नीचे पंचायत का वर्षवार लक्ष्य निम्न प्रपत्र में दर्ज करें :-

वर्ष	कुल भौतिक लक्ष्य	पंचायत का वार्षिक लक्ष्य				अभ्युक्ति
		अनुसूचित जाति/जनजाति (लक्ष्य का 60% कम से कम)	अल्पसंख्यक (लक्ष्य का 15%)	अन्य वर्ग (लक्ष्य का ≤ 25%)	विकलांग (लक्ष्य का 3%)	
2008-09						

टिप्पणी के रूप में निम्नलिखित बातें भी दर्ज करें :-

- (i) इंदिरा आवास के लिए वर्ष 2008-09 से 35,000/- (पैंतीस हजार) रुपये दो किस्तों में उपलब्ध करायी जायेगी। प्रथम किस्त 24,000/- (चौबीस हजार) रुपये लाभुक के बैंक खाते में तुरंत उपलब्ध कराये जायेंगे। द्वितीय किस्त (अंतिम) 11,000/- (ग्यारह हजार) रुपये प्रथम किस्त उपलब्ध होने से 2 माह बाद स्वतः लाभुक के बैंक खाते में भेजे जायेंगे।

- (ii) इंदिरा आवास का चयन के लिए किसी प्रकार का आवेदन नहीं दिया जाना है । यह प्रतीक्षा/चयन सूची के आधार पर स्वतः क्रमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी ।
- (iii) इंदिरा आवास उपलब्ध कराने हेतु किसी प्रकार की राशि किसी व्यक्ति को लाभुकों द्वारा नहीं देना चाहिए क्योंकि यह लाभ सरकार द्वारा मुक्त उपलब्ध करायी जाती है ।
- (iv) चयन सूची अगले पाँच वर्ष या नया बी.पी.एल. सूची बनाने तक जारी रहेगी ।
- (v) इंदिरा आवास योजना अंतर्गत सरकारी सहायता गरीबों का हक है न कि किसी व्यक्ति विशेष या पदाधिकारी/कर्मचारी की कृपा । इस कारण लाभुक किसी को घूस नहीं दें ।

(5) इंदिरा आवास योजना की राशि का पंचायतवार आवंटन :-

- (i) इंदिरा आवास योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में उपलब्ध होने के एक सप्ताह के भीतर (सम्प्रति 20 मई 2008 तक) उसका उपावंटन कम्प्यूटर द्वारा पंचायतवार एवं प्रखण्डवार निर्गत कर चेक/ड्राफ्ट द्वारा प्रखण्डों को उपलब्ध करावें । यथासंभव उसी बैंक का चेक उपलब्ध करायेगें जिस बैंक की शाखा संबंधित प्रखण्डों में हो ताकि बैंकों द्वारा "चेक क्लीयरेन्स" के विलम्ब से बचा जा सके ।
- (ii) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पंचायतवार ही राशि का आवंटन करेंगें न कि प्रखण्डवार आवंटन कर प्रखण्ड को पंचायतवार आवंटन का दायित्व सौंपेंगें ।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पंचायतवार राशि का आवंटन अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 60%, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 15% एवं अन्य वर्ग के 25% स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए उपलब्ध करावें ।

(iii) लाभुकों का प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह के रूप में गठन :-

प्रखण्डों में राशि उपलब्ध होने से पूर्व ही चयन सूची से इस वित्तीय वर्ष के लक्ष्य के अनुरूप संख्या में लाभुकों की एक बैठक बुलायेगें । उक्त बैठक में लाभुकों के अलावे प्रखण्ड में कार्यरत इंजीनियरों, स्वयं सहायता समूह गठन करने में लगे NGO/Facilitator etc, प्रसार पदाधिकारी, सभी बैंकों के प्रतिनिधि आदि को भी बुलायेंगें ।

लाभुकों को इंदिरा आवास योजना की जानकारी देंगें, यथा- कैसे घर बनायेगें, कितने किस्तों में राशि किस प्रकार प्राप्त होगी, बैंक में कैसे खाता खुलवायेंगें (यथा संभव उसी दिन शिविर आयोजित कराकर सबों को बैंक में खाता खुलवायें) एवं खाते का संचालन कैसे होगा, इंदिरा आवास की राशि का उपयोग घर बनाने में किया जाए क्योंकि यह अवसर जीवन में प्राप्त होने वाला एक मात्र अवसर घर बनाने का है, यह बतावें । घर का क्षेत्रफल, नींव, प्लिन्थ उँचा बनाने (बाढ़ के पानी से बचाव के लिए), फर्श एवं भीतरी दीवार का सीमेन्ट से प्लास्टर अनिवार्य रूप से कालाजार से बचाने के लिए, शौचालय निर्माण, उन्नत चूल्हा, पेड़ लगाना आदि के बारे में बताएं ।

पंचायतवार खासकर महिला लाभुकों का स्वयं सहायता समूह का गठन उसी बैठक में करावें एवं समूह के रूप में संगठित होकर कार्य करने के बारे में बताएं । साथ ही प्रत्येक पंचायत के लिए यथासंभव टोलावार 10-10 लाभुकों का समूह बनवाकर अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव का चुनाव करवाकर इंदिरा आवास निर्माण की सामूहिक

जिम्मेवारी के बारे में बतावें। सामूहिक रूप से निर्माण सामग्री खरीदने, बैंक में समूह के रूप में जाने एवं पैसे के निकासी के संबंध में बताना चाहिए। किसी दलाल, बिचौलिये के चंगुल में लाभुक नहीं फंसे, यह भी बतावें। समूह को एस.जी.एस.वाई., एन.आर.ई.जी.एस. से कैसे जोड़ेंगे एवं बैंकों में बचत राशि बचाकर रखने के संबंध में भी बतावें।

इसी बैठक में सभी लाभुकों के इंदिरा आवास निर्माण हेतु भूमि का विवरण भी प्राप्त करेंगे।

(iv) **इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध राशि का भुगतान :-**

प्रखण्डों में राशि उपलब्ध होते ही कितने लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में राशि उपलब्ध करायी जानी है का आकलन करने हेतु उपलब्ध राशि को 24,000 से भाग देकर प्रथम पाली के लाभुकों की संख्या तय की जाए तथा तदनुसार एक वित्तीय वर्ष में स्वीकृत होने वाली सभी आवास योजना के लिए पंचायतवार एक-एक अभिलेख एवं आदेश फलक तैयार कर स्वीकृत्यादेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 20 मई 2008 तक निश्चित रूप से निर्गत करेंगे। इस आदेश की प्रति संबंधित पंचायतों, लाभुकों, डी.आर.डी.ए. एवं बी.आई.सी. को तुरंत उपलब्ध करायेंगे। स्वीकृत्यादेश में लाभुकों को राशि प्राप्त होने के छः माह के भीतर घर बना लेने का एवं नहीं बनाने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई करने एवं राशि वसूली का निर्देश भी देंगे।

(v) **लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान :-**

स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के 3 दिनों के भीतर लाभुकों के बैंक खाता संख्या सहित एक बैंक एडभाईस एवं समेकित चेक 24,000/- (चौबीस हजार) रूपये प्रति लाभुकों की दर से प्रथम किस्त के रूप में लाभुकों के जमा करने हेतु संबंधित बैंक को उपलब्ध कराना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। **बैंक एडभाईस में यह स्पष्ट रूप से बैंकों को निर्देश अंकित करेंगे कि लाभुकों के साथ वही व्यवहार किया जाय जो व्यवहार बैंक अपने सामान्य खाताधारियों के साथ करता है अर्थात् लाभुक इस राशि की निकासी स्व-विवेक से करेंगे और बैंक से राशि की निकासी के समय किसी पहचानकर्ता या गवाह की आवश्यकता नहीं है। जो बैंक पहचानकर्ता या गवाह की पहचान पर राशि का भुगतान करेंगे उन्हें लाभुकों से घूस मांगने/लेने का दोषी मानते हुए उनके तथा पहचानकर्ता/गवाह के उपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। स्वीकृति एवं राशि जमा कराने की लिखित सूचना संबंधित लाभुकों, पंचायत एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी देना सुनिश्चित करेंगे।**

(vi) बैंक में प्रथम किस्त की राशि बैंक एडभाईस के साथ जमा करने के बाद पुनः एक बैठक लाभुकों की प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बुलायेंगे एवं निर्धारित समय सीमा (अधिकतम छः माह) के भीतर मकान पूर्ण करने का निर्देश देंगे। यह भी बतायेंगे कि नींव कितनी लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई में खोदना है, नींव में क्या-क्या कितनी मात्रा में डालनी है, लिटेल लेवल (छत स्तर) तक जोड़ाई कैसे एवं कितनी उँचाई तक करनी है। निर्माण

सामग्री यथा- छड़, सीमेन्ट, बालू आदि कितना-कितना क्रय करना है एवं वे सामग्री उचित मूल्य पर कहाँ-कहाँ उपलब्ध है, आदि । उन्हें यह भी बताएँ कि प्रथम किस्त की राशि से दीवार स्तर तक का कार्य बैंक में लाभुकों को राशि उपलब्ध कराये जाने के दो माह के भीतर बना लेना है ताकि दूसरी किस्त की राशि मिलते ही वे छत की ढलाई एवं प्लास्टर कार्य पूरा कर सकें ।

(vii) **लाभुकों को द्वितीय (अंतिम) किस्त का भुगतान :-**

लाभुक द्वारा स्व-विवेक से बैंक से राशि की निकासी कर मकान का निर्माण प्रारम्भ करेंगे । वे घर बनाने हेतु जो भी तकनीकी जानकारी प्राप्त करना चाहें उन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं तकनीकी पदाधिकारी यथा कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता द्वारा वह जानकारी दी जायेगी । अपेक्षा की जाती है कि 2 माह के भीतर लाभुक अपना घर छत ढलाई करने के लायक बना लेंगे ।

अतः निर्माण कार्य को गति देने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी स्वतः (बिना लाभुकों का आवेदन लिय हुए या निर्माण की प्रगति का प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए) प्रथम किस्त की राशि बैंक में जमा कराने के ठीक दो माह बाद लाभुकों के खाते में पूर्व विहित रीति से 11,000 (ग्यारह हजार) रुपये प्रति लाभुक की दर से समेकित चेक द्वारा जमा कराना सुनिश्चित करेंगे । साथ ही लाभुकों को छत ढलाई करने के संबंध में तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध करायेंगे । यदि किसी कारणवश बैंक में यह राशि जमा करने में विलम्ब हो तो विलम्ब का कारण अभिलेख में अंकित करेंगे ।

(viii) **निर्माण कार्य पूर्ण कराना एवं प्रतीक चिह्न आदि का लेखा :-**

द्वितीय किस्त की राशि लाभुकों को उपलब्ध कराने के एक माह के भीतर छत ढलाई कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए एवं दूसरे माह में छत की ढलाई खुल जानी चाहिए ।

तदुपरान्त उन्हें खिड़की एवं किवाड़ लगाने एवं प्लास्टर (भीतरी एवं बाहरी दीवाल) तथा फर्श का निर्माण करा लेने की सलाह दी जायेगी । साथ ही उक्त निर्मित इंदिरा आवास की बाहरी दीवार पर प्लास्टर करने के क्रम में किवाड़ के उपरी दीवाल में इंदिरा आवास का लोगो 'प्रतीक चिह्न', अभिलेख संख्या एवं वर्ष, लाभुक का नाम, प्रतीक्षा सूची का क्रमांक, सीमेन्ट बालू से ही अंकित करने का निर्देश दिया जायेगा ।

(ix) **मासिक समीक्षा बैठक एवं लाभुकों को अन्य योजना से लाभान्वित कराना :-**

प्रखण्ड कर्मचारियों/पर्यवेक्षकों की साप्ताहिक बैठकों में पंचायतवार इंदिरा आवास निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी किया करेंगे एवं उसे मासिक रूप से पंचायतवार समेकित कर उप विकास आयुक्त को उपलब्ध करायेंगे । मासिक प्रगति प्रतिवेदन के आलोक में पंचायतवार मासिक प्रगति प्रतिवेदन में लाभुकवार गृह निर्माण की भौतिक स्थिति यथा नींव स्तर, प्लिन्थ स्तर, लिटेल स्तर, छत ढलाई, फर्श एवं दीवार प्लास्टर, लोगो एवं लाभुक का नाम दीवार पर दर्ज करने की स्थिति, पेड़ लगाने आदि की स्थिति अंकित करेंगे । अच्छा होगा कि इसे बी.आई.सी. की सहायता से कम्प्यूटरीकृत कर लें एवं प्रतिमाह उसे अद्यतन कर उप विकास आयुक्त को प्रतिवेदन

उपलब्ध करावें। उसी प्रतिवेदन में लाभुकवार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त विमुक्ति की स्थिति (तिथि सहित) भी अंकित करेंगे।

प्रपत्र

पंचायत का नाम :-

माह

क्रम	लाभुक का नाम एवं बी.पी.एल. सं०	निर्माण की वित्तीय स्थिति			निर्माण की भौतिक स्थिति					बाहरी दीवार पर लोगो, अभिलेख सं०, वर्ष एवं लाभुक का नाम अंकित होने की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	शौचालय निर्माण पूर्ण	उन्नत चूल्हा लगाना (हाँ/नहीं)	पेड़ लगाना (हाँ/नहीं)
		प्रथम किस्त तिथि	द्वितीय किस्त तिथि	तृतीय किस्त तिथि	नींव स्तर	प्लिन्थ स्तर	लिंगेल स्तर	छत ढलाई पूर्ण	फर्श एवं दीवार का प्लास्टर पूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

उपर्युक्त प्रतिवेदन पंचायतवार इंदिरा आवास निर्माण के क्रम में बनाये गये स्वयं सहायता समूह के पद धारियों से प्रतिवेदन प्राप्त कर भी अद्यतन किया जा सकता है। इन समूहों का सहयोग इंदिरा आवास का निर्माण कार्य में प्रारम्भ से ही जोड़ते हुए ससमय पूर्ण कराने में भी किया जा सकता है और उन्हें तत्काल एन.आर.ई.जी.एस. की योजना से जोड़कर मजूदरी उपलब्ध करायी जा सकती है। साथ ही एस.जी.एस.वाई. अंतर्गत समूह को स्थायी रोजगार (स्व-रोजगार) से जोड़ने का कार्य भी किया जाय।

(6) पुराने अपूर्ण आवास को पूर्ण कराने के संबंध में निर्देश :-

- (i) सर्वप्रथम पंचायतवार अपूर्ण इंदिरा आवासों की वर्षवार एवं पंचायतवार पहचान कर सूची तैयार करावें। इस सूची को कम्प्यूटरीकृत करावें एवं प्रतिमाह उसकी अद्यतन स्थिति की समीक्षा प्रखण्डवार एवं पंचायतवार करते हुए सूचनाओं को अद्यतन करते रहें।

इसके लिए शुरुआत वर्ष 2007-08 से करें एवं क्रम से वर्ष 2006-07, 2005-06, 2004-05 एवं उसके पूर्व के वर्षों के लंबित आवासों को प्रतिमाह लक्ष्य निर्धारित करते हुए पूर्ण करावें। मॉनिटरिंग हेतु निम्न प्रपत्र का व्यवहार करें :-

(प्रखण्ड स्तर पर) प्रपत्र - 'क'

पंचायत का नाम :-

माह

क्रम	लाभुक का नाम	लाभुक के पिता/पति का नाम	बी.पी.एल. सं० एवं वर्ष	निर्माण की वित्तीय स्थिति			निर्माण की भौतिक स्थिति				शौचालय निर्माण पूर्ण	उन्नत चूल्हा (लगा है)	लोगो	अभ्युक्ति
				प्रथम किस्त तिथि	द्वितीय किस्त तिथि	तृतीय किस्त तिथि	नींव स्तर	प्लिन्थ स्तर	लिंगेल स्तर	छत ढलाई पूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

(प्रखण्ड स्तर पर) प्रपत्र - 'ख'

क्रम	पंचायत का नाम	अपूर्ण आवासों के वर्षवार लाभुकों की संख्या						निर्माण की वित्तीय स्थिति		
		2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	पूर्व वर्षों के	कुल अपूर्ण आवास	प्रथम किस्त विमुक्त (सिर्फ सं०)	द्वितीय किस्त विमुक्त (सिर्फ सं०)	तृतीय किस्त विमुक्त (सिर्फ सं०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

निर्माण की भौतिक स्थिति				शौचालय पूर्ण	उन्नत चूल्हा (लगा है)	लोगो (प्रतीक चिह्न) (लगा है)	अभ्युक्ति
नींव स्तर पूर्ण	प्लिन्थ स्तर पूर्ण	लिंगेल स्तर पूर्ण	छत ढलाई पूर्ण				
12	13	14	15	16	17	18	19

(जिला स्तर पर) प्रपत्र - 'ग'

क्रम	प्रखण्ड का नाम	अपूर्ण आवासों के वर्षवार लाभुकों की संख्या						निर्माण की वित्तीय स्थिति		
		2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	पूर्व वर्षों के	कुल अपूर्ण आवास	प्रथम किस्त विमुक्त (सिर्फ सं०)	द्वितीय किस्त विमुक्त (सिर्फ सं०)	तृतीय किस्त विमुक्त (सिर्फ सं०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

निर्माण की भौतिक स्थिति				शौचालय पूर्ण	उन्नत चूल्हा (लगा है)	लोगो	अभ्युक्ति
नींव स्तर पूर्ण	प्लिन्थ स्तर पूर्ण	लिंगेल स्तर पूर्ण	छत ढलाई पूर्ण				
12	13	14	15	16	17	18	19

उपर्युक्त प्रपत्रों को पंचायत/प्रखण्ड में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर भरे जाएं। सिर्फ वर्तमान भौतिक स्थिति जानने के लिए इंदिरा आवास के लाभुकों का पंचायतवार गठित समूह की मदद प्राप्त की जाय। सरकारी कर्मचारी/पर्यवेक्षक को भी स्थल जांच हेतु पंचायतवार प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत किये जाए तथा 31 मई 2008 तक वर्ष 2007-08 एवं 2006-07 में प्रारम्भ किये गये सभी इंदिरा आवासों का भौतिक सत्यापन कराया जाय।

- (ii) सर्वप्रथम 2007-08 एवं 2006-07 में पूर्ण किये गये इंदिरा आवास की शत प्रतिशत जाँच कराकर अंतिम किस्त की राशि को बैंक खाते में एडभाईस द्वारा जमाकर भुगतान की जाए तथा उन अभिलेखों को पूर्णता प्रमाण पत्र अंकित करते हुए बंद किया जाय, फलतः इंदिरा आवास की पूर्णता में काफी वृद्धि होगी। ज्ञातव्य हो कि शेष रुपये 1,000/- शैचालय व चूल्हा के लिए नहीं रोकना है।
- (iii) तत्पश्चात् ऐसे सभी लंबित इंदिरा आवास जिन्हें पूर्व में व्यक्तिगत चेक द्वारा प्रथम/द्वितीय किस्तों के रूप में 24,000/- (चौबीस हजार) से कम भुगतान हुआ है उन्हें सूचना देकर बैंकों में खाता खुलवायें और अवशेष राशि (एक हजार रुपये रोककर) तुरंत उनके खाते में समेकित चेक द्वारा जमा करावें। राशि जमा कराने से पूर्व मात्र यह सत्यापित कर लिया जाय कि लाभुक बी.पी.एल. परिवार के सदस्य हैं। राशि जमा करने के बाद लाभुकों को लिखित सूचना दें कि तीन माह के भीतर अपना मकान बना लें अन्यथा उनके उपर कानूनी कार्रवाई करते हुए राशि की वसूली की जायेगी। यदि संभव हो तो इन लाभुकों को भी स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित कर मकान पूर्ण कराने की जिम्मेवारी साँपे या उसी पंचायत के अन्य लाभुकों के समूह को ही यह उत्तरदायित्व साँपे।
- (iv) यदि किसी गैर-अर्हता प्राप्त व्यक्ति को पूर्व में इंदिरा आवास का लाभ दिया गया है तो उसकी वसूली हेतु उन्हें समय देते हुए सूचना दें। उसके बाद भी यदि उनके द्वारा अग्रिम की राशि वापस नहीं की जाती है तो उनके विरुद्ध पी.डी.आर. एक्ट के अंतर्गत राशि वसूली हेतु मुकदमा सक्षम न्यायालय (संभवतः अंचलाधिकारी को ही शक्ति प्रदत्त है) में दायर कर वसूली करें। यदि आवश्यकता हो तो फौजदारी मुकदमा भी दर्ज करें। साथ ही इंदिरा आवास की राशि का गलत लाभ देने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी/व्यक्तियों की पहचान कर उनके उपर उचित अनुशासनिक/कानूनी कार्रवाई करें।
- (v) यदि इंदिरा आवास के लाभुक ने अग्रिम राशि प्राप्त कर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया है या अग्रिम राशि के अनुरूप कार्य नहीं किया है तो उन्हें व्यक्तिगत लिखित सूचना देकर समय का निर्धारण करते हुए आवास का निर्माण कार्य पूरा करने हेतु निदेशित करें। साथ ही उन्हें यदि पूर्व में कम राशि अग्रिम के रूप में प्राप्त हुई हो तो खाता खुलवाकर 24,000/- (चौबीस हजार) रुपये तक की राशि उपलब्ध कराते हुए आवास का निर्माण पूर्ण कराने हेतु निदेशित करें। फिर भी यदि निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करते हैं तो सरकारी राशि के दुरुपयोग करने हेतु उदाहरण स्वरूप एक-दो मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए राशि की वापसी हेतु कार्रवाई करें।

(7) वर्ष 2007-08 के द्वितीय किस्त की राशि का उपयोग :-

वर्ष 2007-08 की द्वितीय किस्त की राशि भी मार्च 2008 के अंत में अधिकांश जिलों में प्राप्त हुए हैं। इन राशियों का उपयोग वर्ष 2007-08 के अंत (31.03.2008) तक नहीं हुआ होगा। उन राशियों का व्यय भी वर्ष 2008-09 में प्राप्त होने वाले केन्द्रांश/राज्यांश के अनुरूप करना होगा।

चूँकि 01.04.2008 से प्रति यूनिट इंदिरा आवास जिलान्तर्गत सहायता राशि 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये से बढ़ाकर 35,000/- (पैंतीस हजार) रुपये की जा चुकी है ।

अतएव वर्ष 2007-08 के अवशेष लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त राशि, जो वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रारंभिक अवशेष (Opening Balance) के रूप में रोकड़ बही में उपलब्ध है का व्यय इंदिरा आवास निर्माण हेतु 35,000/- (पैंतीस हजार) रुपये प्रति यूनिट की दर से ही व्यय होगा । सिर्फ अवशेष राशि से 35,000/- (पैंतीस हजार) रुपये की दर से कितना इंदिरा आवास का निर्माण हो सकेगा इसके वर्गवार (अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य वर्ग, विकलांग) आकलन जिलों, प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर कर लें और इस वित्तीय वर्ष के लक्ष्य में '+' अंकित कर लक्ष्य सुधार लें एवं राज्य को भी प्रतिवेदित करें । मासिक प्रगति प्रतिवेदन में इस वर्द्धित लक्ष्य को अंकित करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु Key-Indicator में अनिवार्य रूप से '+' अंकित हुए अंकित करें और अपनी वार्षिक कार्य योजना में भी इसका उल्लेख जरूर करें ।

इन आवासों का निर्माण कार्य पूर्व में वर्णित कंडिकाओं के अनुसार इस वर्ष ली जाने वाली योजनाओं के अनुरूप ही होगा ।

(8) प्रधानमंत्री पैकेज (वर्ष 2004 बाढ़) की योजना :-

- (i) वर्ष 2007-08 में इस मद की योजना की अवशेष राशि का समायोजन भारत सरकार द्वारा कर ली गई है । तदनुसार राज्य सरकार ने भी केन्द्रांश एवं राज्यांश समायोजन करने का आदेश दिया है जिसका अनुपालन संबंधित जिलों द्वारा कर लिया गया होगा । यदि किसी जिलों ने अभी भी यह नहीं किया है तो तुरंत उस राशि का समायोजन करते हुए कंडिका-8 के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई कर नये इंदिरा आवास निर्माण में उस राशि का व्यय कराना सुनिश्चित करें । समायोजन का अर्थ पुनः स्पष्ट करते हुए कहना है कि प्रधानमंत्री पैकेज (बाढ़ 2004) की अवशेष राशि का चेक उस बैंक खाते से काटकर इंदिरा आवास नव निर्माण के खाते में जमा करना है ।
- (ii) कंडिका 9(i) में अंकित समायोजन के पश्चात् भी एक बड़ी राशि प्रधान मंत्री पैकेज (बाढ़ 2004) के अंतर्गत भी प्रखण्डों एवं डी.आर.डी.ए. में अव्यवहृत अवशेष के रूप में पड़ी हुई है जो घोर आपत्तिजनक है । यह पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि या तो इस राशि का उपयोग कर पूर्व में लिये गये इस मद की इंदिरा आवासों को पूर्ण करना था या उपयोग नहीं होने वाली राशि के समायोजन का प्रस्ताव भेजना था ।
- (iii) अतः एक अंतिम अवसर के रूप में 31मई 2005तक इस राशि को व्यय कर अपूर्ण इंदिरा आवासों को पूर्ण कराना उप विकास आयुक्त एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करें अन्यथा जो राशि उपयोग नहीं की जा सकती है उसके समायोजन का प्रस्ताव मई 2008के अंत में देना सुनिश्चित करें । राशि को किस प्रकार शीघ्र व्यय किया जा सकता है एवं अपूर्ण इंदिरा आवासों को किस प्रकार पूर्ण किया जा सकता है इसका पूरा विवरण कंडिका-6 में अंकित है । गैर अर्हता प्राप्त व्यक्ति को इंदिरा आवास दिये जाने की स्थिति में क्या कार्रवाई करनी है यह भी कंडिका-6(iii) एवं 6(iv) में अंकित है ।

(iv) इस कार्य में अब कोई विलम्ब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता एवं 15 जून' 08 तक समायोजन का अंतिम प्रस्ताव नहीं प्राप्त होने पर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त पर उतरदायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी ।

(9) इंदिरा आवास "कालाजार पैकेज" :-

(i) यह खेदजनक है कि "कालाजार पैकेज" के तहत वर्ष 07 -2006के अंत में प्राप्त राशि का अभी तक उपयोग नहीं किया जा सका है जबकि इस पैकेज के तहत प्राप्त राशि के व्यय हेतु नियमों के अवरोधों को समाप्त किया जा चुका है और सम्प्रति चिह्नित ग्रामों में बीपीएल परिवारों को इसका लाभ देने में सामान्य इंदिरा आवास देने के लिए जा नियम है वे ही लागू हैं अर्थात् उस ग्राम के बीपीएल परिवार को कुल प्राप्तांक के आधार पर आरोही क्रम में अनु0जाति/जन जाति 60प्रतिशत अल्पसंख्यक 15प्रतिशत अन्य वर्ग 25प्रतिशत सभी वर्गों में विकलांग 3 प्रतिशत को यह लाभ दिया जाना है ।

(ii) इस कार्य को प्रथम प्राथमिकता देते हुए लाभुकों की पहचान कर उनका बैंक खाता खुलवाकर प्रथम किस्त के रूप में 24,000/- (चौबीस हजार) रु 0प्रति लाभुक की दर से समेकित चेक द्वारा 20मई 2008तक जमा कराना प्रखंड विकास पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त सुनिश्चित करें तथा द्वितीय किस्त का प्रस्ताव हर हालत में 25मई 2008तक भारत सरकार को U/C, AR, BES, BRS आदि के साथ भेजवाना सुनिश्चित करें एवं उसकी एक प्रति विभाग को भी भेजे ।

जिस डी.आर.डी.ए. द्वारा द्वितीय किस्त का प्रस्ताव 25मई 2008तक नहीं भेजा जायेगा उनके विरुद्ध इसके लिए उतरदायित्व का निर्धारण करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी ।

(10) "आपकी सरकार आपके द्वार" योजनान्तर्गत इंदिरा आवासों का निर्माण :-

इस योजना के अंतर्गत चिह्नित जिला प्रखंडों एवं पंचायत के सभी संबंधित उप विकास आयुक्त एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि चिह्नित पंचायतों के सभी अर्हता प्राप्त परिवारों की सूची तैयार कर ली जाय तथा सामान्य इंदिरा आवास के लिये उस पंचायत के लक्ष्य एवं आवंटन के अनुरूप तुरत राशि उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य प्रारंभ करावें । शेष बचे सभी परिवारों का आवास वित्तीय वर्ष 09-2008एवं 2010-2009 में बनाया जाना है इसके लिये अलग से कार्य योजना तैयार करें । वर्ष 09-2008का आवंटन संभवतः मई/जून 2008 के अंत तक उप विकास आयुक्त को उपलब्ध करा दिया जायेगा, अतएव वे इस राशि का तत्काल उपयोग करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

(11) योजना का निरीक्षण :-

आप अवगत है कि प्रखंड स्तर पर सभी इंदिरा आवासों का 100प्रतिशत स्थल निरीक्षणकरना है । इसी क्रम में निदेश दिया जाता है कि सम्प्रति वर्ष 08-2007एवं 2006-07 में आवंटित सभी इंदिरा आवासों का चरणबद्ध तरीके से जून 2008तक शत प्रतिशत स्थल निरीक्षण सुनिश्चित करावें तथा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदनों को समेकित कर

विभाग को प्रति माह भेजना सुनिश्चित करें। जून 2008के बाद प्रतिमाह 09-2008के आवंटित इंदिरा आवासों के निर्माण का स्थल निरीक्षण कराना एवं प्रतिमाह प्रखंडवार निरीक्षण का समेकित प्रतिवेदन विभाग को भेजवाना उप विकास आयुक्त सुनिश्चित करें। इसके लिये पंचायतवार पर्यवैक्षक/अन्य सरकारी कर्मों की प्रतिनियुक्ति प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे जबकि उप विकास आयुक्त, जिला पदाधिकारी के माध्यम से जिले से पदाधिकारी की प्रखंडवार प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।

(12) योजना की मॉनिटरिंग :-

सभी डी.आर.डी.ए. एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी इस योजना की प्रतिमाह पंचायतवार प्रगति की मॉनिटरिंग करेंगे। प्रत्येक माह सभी वांछित प्रतिवेदन ससमय जिला, राज्य एवं भारत सरकार को भेजवाना सुनिश्चित करेंगे। On-Line Reporting ससमय हो रही है या नहीं यह उतरदायित्व उप विकास आयुक्त का है।

(13) द्वितीय किस्त केन्द्रांश की विमुक्ति :-

इस वित्तीय वर्ष 2008-09 के द्वितीय किस्त का प्रस्ताव सितम्बर 2008तक भारत सरकार को भेज दिये जाएँ यह उप विकास आयुक्त सचेष्ट होकर सुनिश्चित करेंगे। प्रस्ताव भेजने के लिये उपलब्ध राशि का 60प्रतिशत खर्च होना, U/C, AR, BES, BRS को मूल प्रति उप विकास आयुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर भेजना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित किया जाय कि भारत सरकार को त्रुटि रहित प्रस्ताव भेजे जाय। इसके लिए चेक लिस्ट के अनुरूप सभी कागजात हैं या नहीं, यह स्वयं उप विकास आयुक्त देखकर एवं संतुष्ट होकर ही प्रस्ताव भेजेंगे। आवंटन की द्वितीय किस्त प्राप्त होने पर द्वितीय पाली में उस वर्ष के बाकी लाभार्थियों को पूर्व की प्रक्रियानुसार प्रथम किस्त की राशि 24,000/- (चौबीस हजार) रुपये की दर से उपलब्ध करायी जायेगी।

(14) शौचालय, उन्नत चूल्हा आदि :-

इंदिरा आवासों में शौचालय निर्माण एवं उन्नत चूल्हा लगाना संबंधित उप विकास आयुक्त की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है क्योंकि शौचालय निर्माण सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान TSC के माध्यम से होना है जिसके उप विकास आयुक्त अध्यक्ष होते हैं; जबकि ब्रेडा के माध्यम से उन्नत चूल्हा उपलब्ध होगा, जिसके लिए भी संबंधित उप विकास आयुक्त को ही पहल करना होगा। अतएव उप विकास आयुक्त इस वर्ष आवंटित होनेवाले इंदिरा आवासों में शौचालय का निर्माण कराने एवं उन्नत चूल्हा लगवाने हेतु कालबद्ध कार्य योजना तैयार कर यह कार्य कराना सुनिश्चित करें।

उसी प्रकार उप विकास आयुक्त वन विभाग से सम्पर्क स्थापित कर सभी इंदिरा आवास के लाभुकों को पौधे उपलब्ध कराकर वृक्ष लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

(15) आपात स्थिति में इंदिरा आवास का आवंटन :-

किसी बी.पी.एल. परिवार का घर यदि आगजनी, दंगा, लूटपाट एवं हिंसक कार्रवाई के कारण ध्वस्त होते हैं तो ऐसे परिवारों को तुरंत इंदिरा आवास उपलब्ध कराने हेतु घटना की तिथि, घटना का विवरण, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये राहत, लाभार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, भूमि का विवरण (खाता नं0, खेसरा नं0, नक्शा एवं चौहदी), बी.पी.एल. सूची का क्रमांक, प्रतीक्षा/चयन सूची का क्रमांक के साथ

सूची संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी घटना के एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से स्वीकृति हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को भेजेगें। संबंधित उप विकास आयुक्त यह सूची प्राप्त होने के एक माह के भीतर इस पर जिला पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर राशि सहित स्वीकृत्यादेश की प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे। यह राशि जिले में उपलब्ध किसी भी मद की राशि से उपलब्ध करायी जायेगी, किन्तु किसी वित्तीय वर्ष में एक जिला को 50 लाख रुपये या इंदिरा आवास योजना मद में आवंटन की 10% राशि, जो अधिक हो इस मद में व्यय किये जायेंगे।

अन्य प्राकृतिक आपदा तथा बाढ़, भूकम्प आदि में ध्वस्त बी.पी.एल. परिवारों के आवास निर्माण हेतु प्रस्ताव संबंधित जिलों द्वारा तैयार कर भारत सरकार को राज्य सरकार के माध्यम से भेजे जायेंगे। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने के बाद ही ऐसे आवासों का निर्माण किया जायेगा।

(16) भूमिहीनों को आवास उपलब्ध कराना :-

ऐसे निर्धन बी.पी.एल. परिवार जिन्हें घर बनाने के लिए अपनी जमीन उपलब्ध नहीं हो उन्हें राजस्व विभाग से बासगीत पर्चा दिया जायेगा तथा उपर्युक्त गैरमजरूआ खास/मालिक (अनाबाद बिहार सरकार) जमीन बन्दोवस्त की जायेगी या चार डेसीमल भूमि वास हेतु अर्जित कर उपलब्ध करायी जायेगी जिसपर इंदिरा आवास का निर्माण कराया जा सकती है। इस हेतु संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पहलकर उक्त भूमि उपलब्ध कराकर इंदिरा आवास निर्माण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(17) योजना में पारदर्शिता :-

किसी योजना की सफलता के लिये सभी स्तर पर योजना की सही जानकारी एवं पारदर्शी तरीके से कार्यान्वयन जरूरी है। इसके अलावे सतत कार्यों का निरीक्षण एवं उचित मार्गदर्शन आवश्यक है। आशा है आप सभी मानकों पर खरे उतरेगे और इंदिरा आवास में किसी भी स्तर पर कोई घूसखोरी नहीं हो, यह सुनिश्चित करेंगे। घूसखोरी की जानकारी प्राप्त होत ही त्वरित कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए संबंधित व्यक्ति के बयान का विडियो रिकार्डिंग कराना एवं प्राथमिकी दर्ज कराकर धारा 164 सी.आर.पी.सी. के तहत पुलिस द्वारा न्यायालय में बयान भी दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभुकों से गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों द्वारा धोखधड़ी कर अवैध राशि ली जाती है तो अन्य सुसंगत धाराओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत भी प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

इंदिरा आवास योजना के सफल कार्यान्वयन एवं पारदर्शिता हेतु आपके सुझाव आमंत्रित हैं।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अनूप मुखर्जी)

प्रधान सचिव